



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-8/ई-1/2025
दिनांक: 16.09.2025

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा – 2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:- 16.09.2025

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि:- 16.10.2025
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि:- 24.10.2025

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अर्न्तर्गतों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अर्न्तर्गतों जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अर्न्तर्गतों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अर्न्तर्गतों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अर्न्तर्गतों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन-लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक् से प्रेषित विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अर्न्तर्गतों का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अर्न्तर्गतों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाओं/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन-लाइन आवेदन करने वाले अर्न्तर्गतों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अर्न्तर्गतों ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अर्न्तर्गतों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अर्न्तर्गतों द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- 1- **User Instructions**
- 2- **View Advertisement**
- 3- **Apply**

User Instructions में अर्न्तर्गतों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अर्न्तर्गत इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

ऑन-लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरांत 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अर्न्तर्गतों को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अर्न्तर्गतों यदि :-

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर अर्न्तर्गतों प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अर्न्तर्गतों की समस्त व्यक्तिगत सूचनाओं (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होगी। अर्न्तर्गतों को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अर्न्तर्गतों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अर्न्तर्गतों को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अर्न्तर्गतों का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अर्न्तर्गतों को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के समुख कालम में 'Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के समुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट आउट पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अर्न्तर्गतों 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरांत O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अर्न्तर्गतों द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अर्न्तर्गतों उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अर्न्तर्गतों का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अर्न्तर्गतों प्राप्त कर सकते हैं। अर्न्तर्गतों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अर्न्तर्गतों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अर्न्तर्गतों का अनुप्रेषण/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अर्न्तर्गतों में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अर्न्तर्गतों 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अर्न्तर्गतों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, ओमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अर्न्तर्गत निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अर्न्तर्गतों द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अर्न्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त

परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ090 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अर्न्तर्गत को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अर्न्तर्गत कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अर्न्तर्गत/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अर्न्तर्गतों के अर्न्तर्गत/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिव्यक्त या अत्यव्यक्त होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अर्न्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अर्न्तर्गतों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अर्न्तर्गत अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अर्न्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक दाव लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अर्न्तर्गत/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अर्न्तर्गत निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अर्न्तर्गतों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अर्न्तर्गतों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अर्न्तर्गतों का अर्न्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अर्न्तर्गत उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अर्न्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क :- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	परीक्षा शुल्क रु. 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 125/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	परीक्षा शुल्क रु. 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 65/-
(iii) दिव्यांगजन	परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	परीक्षा शुल्क रु. 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी :-	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ090 लोक सेवा आयोग सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य (लिखित) परीक्षा-2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अर्न्तर्गतों का चयन करने हेतु उ090 के जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। आयोग द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा पृथक् से आयोजित की जायेगी। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अर्न्तर्गतों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी।

4. **रिक्तियों की संख्या:-** वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी पद की कुल रिक्तियाँ 182 हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	मू0पू0 सौ0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0री0	महिला
182	27	67	09	61	18	09	07 (04-एल.बी.) (02-एच.एच.) (01-ओ.ए.)	03	36

नोट:- (i) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

(ii) प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल ओ.ए., एल.बी. तथा एच.एच. उपश्रेणियाँ ही चिन्हांकित हैं।

पद की प्रकृति:- समूह "ख" राजपत्रित, वेतनमान- 47,600 - 1,51,100/- ग्रेड वेतन- 4800, लेवल-8

5. **आरक्षण:-** उ090 की अनुसूचित जातियों/उ090 की अनुसूचित जनजातियों/उ090 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ090 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अर्न्तर्गतों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियाँ यथा- उ090 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अर्न्तर्गतों/उ090 के भूतपूर्व सैनिकों और उ090 के समाज के दिव्यांग अर्न्तर्गतों को किसी अनारक्षित शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ090 के समाज के दिव्यांग अर्न्तर्गतों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट:- (1) उ090 के समाज के दिव्यांग अर्न्तर्गतों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के चिन्हे-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

2. शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुप्राण में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अर्न्तर्गतों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुूप समस्त स्तरों से प्राप्त आय

आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। 5. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित हस्तम में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होती हैं। 6. आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। 7. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। 8. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 9. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 9. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त (केवल आयु में छूट हेतु):— आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या: 22/10/1976 – कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं— (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्रडरेक्टिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह प्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचित् अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिससे ग्रेजुटी प्रदान की गई हो। 9. वैवाहिक प्रारिथिति :— ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महाशिवम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो। 9. शैक्षिक अर्हता:— आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए। अधिमानी अर्हता:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:— (i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	जायेगी। आयोग को आवॉटेड केंद्र पर ही परीक्षा देनें होंगे। परीक्षा केंद्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकृति नहीं होगा। (6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे। (7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओटीओआर नं०, जन्मतिथि, पिता / पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। (8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (9) स्तंत्रता संग्राम सेनानियों के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। (10) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (11) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (12) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना, टुटिपुर्न भर जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। (13) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति— गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति—हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति—नीली होगी। परीक्षा समाप्त के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतर्राक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति—नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। (14) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी—। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसे प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक / मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक / मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अर्ह माने जायेंगे। (16) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उन के द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लॉम / रियायत न लिया गया हो। (17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फजी अथवा कूटप्रति Submit किया गया तथा उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सर्वेद के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (18) जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को उनके प्रत्यांक नहीं दिये जायेंगे।
नोट:— आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है। पद की संगत सेवा नियमावलि:— ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 ● उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009	सामान्य अनुदेश 1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दश में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। 2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 3. आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अक्षर धारित करनी चाहिये। 5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रिण्य (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-बी-1-15-1(का)14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर खिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। 6. यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। 7. विभिन्न आरक्षित वर्गों हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक एवं मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-2 तथा परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
9. आयु सीमा:— (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट:— (क) उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षालेख कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। 10. सहायक अभियोजन अधिकारी पद की मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में कतिपय सूचनाएं:— (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200 /— एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /—, योग रु0 225 /— तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 /— एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— योग रु0 105 /— निर्धारित है। उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 /— एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— योग रु0 105 /— निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला अभ्यर्थी / उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा कराया जायेगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केंद्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। (5) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व आवेदन पत्रादि भरना होगा। (6) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (7) केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (8) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।	नोट:— सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य (लिखित) परीक्षा-2025 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। 11. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:— (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अमिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अमिलेख संलग्न न करने पर / प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगों से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विन्दि्त किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी
11. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:— (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अमिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अमिलेख संलग्न न करने पर / प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगों से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विन्दि्त किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी	Detailed Application Form: At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application. Notification Details This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/ department name and post name. Personnel Details from OTR This section shows information about candidate's personnel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates. Education & Experience Details It shows your educational and experience details Declaration segment At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button.

Page- 3

6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures.....percent.
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-
(i) not necessary,
or
(ii) is recommended/ after..... years.....months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD) (MM) (YY)
@ -e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Please strike out the disabilities which is not applicable)
2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
(i) not necessary,
or
(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)
@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears
4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) / पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा विवाहित) उपरोक्त अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर
जिलाधिकारी
सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रारूप - 1

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
पता
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट: यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये

